राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1674, 1675, 1676 व 1677/2014..जिला.....जयपुर..........

उनवान—मैसर्स परफेटी इण्डिया प्रा.लि., जयपुर बनाम वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, जोन—तृतीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

श्री मदन लाल, सदस्य

26.09.2014

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपीलें अपीलीय अधिकारी—तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्—पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक 08.09.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं तथा जिनमें वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, जोन—तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25, 26, 61 व 55 के तहत् क्रमशः निर्धारण वर्ष 2011—12, 2012—13, 2013—14 व 2014—15 के लिये पृथक्—पृथक् पारित निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 08.08.2014 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवाई के दौरान क्रमशः रू.4,56,834/—, रू.15,73,737/—, रू.69,97,406/— व रू.21,49,770/— की वसूली पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा एवं विभाग की ओर से उप—राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा बहस हेतु दिनांक 24.09.2014 को उपस्थित हुये।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करने के संबंध में किसी भी प्रकार के कारणों का उल्लेख नहीं किया है जो अस्पष्ट आदेश (Non-speaking order) की श्रेणी में आता है। अतः प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट कर, बकाया मांग राशियों क्रमशः रू.4,56,834/—, रू.15,73,737/—, रू.69,97,406/— व रू.21,49,770/— पर रोक लगाने का निवेदन किया गया अन्यथा अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया।

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(26)एफडी/टैक्स/2007/154 दिनांक 08.03.2007 व अधिसूचना क्रमांक एफ.12(...)एफडी/टैक्स/2009—[illegible] दिनांक 30.07.2009 व अपीलार्थी व्यवहारी के स्वयं के प्रकरणों में समान बिन्दुओं पर माननीय कर बोर्ड की [illegible] पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 332, 333, 334 व 335/2011/जयपुर निर्णय दिनांक 28.07.2011 के जरिये प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया गया है। अतः उद्धरित न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, प्रकरण व सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होने का कथन कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। इस संदर्भ में कथन है कि "Alpenliebe Just Jelly" फ्रूट जैली है और प्रविष्टि संख्या—107 के अन्तर्गत अभिनिर्धारित नहीं की जा सकती, का महत्वपूर्ण एवम् विधिक बिन्दु विवादित है। अतः अपीलों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विवादित वस्तु

लगातार..........2

26.09.2014

पर 4 प्रतिशत की दर से कर देयता के आधार पर "Alpenliebe Just Jelly, Stop not disk. Stop not Golz, Stop not Stixz " पर अधिनियम की अनुसूची–V के आधार पर सृजित मांग राशियों क्रमशः रू.4,56,834/–, रू.15,73,737/–, रू. 69,97,406/– व रू.21,49,770/– को स्थगित किया जाता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी को निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में दो मोतबर जमानत नियमानुसार प्रस्तुत करने की की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लंबित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है। रोक आदेश की पालना नहीं करने की दशा में उक्त आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जायेगा। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण पर अपील का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

आदेश प्रसारित किया गया।

26.9.2014
(मदन लाल)
सदस्य

(सुभीम शर्मा)
सदस्य